



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 411 राँची, गुरुवार,

28 अगस्त, 2025 (ई०)

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।**

-----

संकल्प

7 जुलाई, 2025

**संख्या-5/आरोप(कोर्ट केस)-5-4/2024-31750 (HRMS)--श्रीमती सीमा कुमारी, झा०प्र०से०** (कोर्ट क्रमांक-218/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के विरुद्ध उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-55(i)/स्था०, दिनांक 10.07.2018 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. श्रीमती सीमा कुमारी, अंचल अधिकारी, सेन्हा के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान वर्ष 2014-15 में सेन्हा अंचल के मौजा बदला थाना नं० 148 के आर०एस० खाता नं० 519 प्लॉट नं० 2080 रकबा 2.50 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि जो बुधवा उराँव पिता गोरा उराँव के नाम पर पूर्व में बन्दोबस्त है तथा उनके नाम से जमाबन्दी भी कायम थी, का दाखिल खारिज सुरेश महतो पिता स्व० बासुदेव महतो के नाम पर दिनांक 21.10.2014 को किया गया, जिससे बन्दोबस्तधारी बुधवा उराँव के उत्तराधिकारियों को बन्दोबस्त भूमि से बेदखल होना पड़ा ।

2. श्रीमती सीमा कुमारी के द्वारा उक्त भूमि की रक्षा के लिए नियमसंगत कार्रवाई करने के बजाय सरकारी भूमि हड़पने वालों के पक्ष में दाखिल खारिज किया गया जिससे सरकारी भूमि की क्षति हुई है ।

3. श्रीमती सीमा कुमारी के द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (1) (i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6608, दिनांक 29.08.2022 द्वारा श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिस पर इनके द्वारा विभाग में अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती कुमारी के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-71(i)/स्था0, दिनांक 27.06.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्रीमती कुमारी के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लोहरदगा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-26946(HRMS), दिनांक 22.11.2019 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-592, दिनांक 14.09.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें जाँच पदाधिकारी द्वारा इनके विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-6553, दिनांक 15.12.2020 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-112(9)/रा0, दिनांक 18.01.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उस पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्रीमती कुमारी के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-3688, दिनांक 17.06.2022 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई है। इसके अनुपालन में श्रीमती कुमारी के पत्रांक-601, दिनांक 11.07.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया ।

श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं0-18325(HRMS), दिनांक 02.12.2022 द्वारा इनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्रीमती कुमारी द्वारा दायर W.P.(S) No. 793 of 2024- Seema Kumari Vrs. State of Jharkhand & Ors. में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 08.08.2024 को आदेश पारित किया गया। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित उक्त आदेश में विभागीय पत्रांक-3688, दिनांक 17.06.2022 द्वारा श्रीमती कुमारी से पृच्छित द्वितीय कारण पृच्छा एवं विभागीय संकल्प सं0-18325(HRMS), दिनांक 02.12.2022 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया एवं संबंधित मामले को विभाग को वापस करते हुए जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति के कारणों के अंकित कर आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा करने एवं आरोपी पदाधिकारी को समुचित अवसर प्रदान करने का निदेश दिया गया ।

उक्त निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-8397, दिनांक 31.12.2024 एवं स्मार पत्रों द्वारा श्रीमती कुमारी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्रीमती कुमारी के पत्र, दिनांक 19.06.2025 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया ।

W.P.(S) No. 793 of 2024 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 08.08.2024 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु श्रीमती कुमारी द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में Cont. (C) No. 188 of 2025- Seema Kumari Vrs. State of Jharkhand & Ors. दायर किया गया है। उक्त अवमाननावाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2025 को पारित आदेश द्वारा श्रीमती कुमारी के विरुद्ध संचालित कार्यवाही को 30 जून तक निष्पादित करने का निदेश दिया गया ।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की पुनर्समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप अप्रमाणित बताया गया है। इस मामले में पूर्व में उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा प्रेषित मंतव्य तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रेषित मंतव्य में आरोपी पदाधिकारी का कृत्य तकनीकी रूप से सही होना बताया है ।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं मामले के सम्यक् विचारोपरांत श्रीमती सीमा कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(iv) के अंतर्गत विभागीय संकल्प सं0-18325(HRMS), दिनांक 02.12.2022 द्वारा अधिरोपित दण्ड “असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक” को विलोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती सीमा कुमारी, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F. No.  | Decision of the Competent authority                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | SEEMA KUMARI<br>110061163093 | श्रीमती सीमा कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(iv)के अंतर्गत विभागीय संकल्प सं0-18325(HRMS), दिनांक 02.12.2022 द्वारा अधिरोपित दण्ड “असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक” को विलोपित किया जाता है । |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अनल प्रतीक मिंज,**  
सरकार के संयुक्त सचिव ।  
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

-----